


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 1106/2021 सुशीला परसोया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 16.02.2021 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.02.2021 द्वारा श्रीमती सुशीला परसोया, प्रधानाचार्य को श्रीमती बनारसी देवी लाठ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंड्रेला जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन पूर्ववत पदस्थापित रखा गया था एवं दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री महावीर प्रसाद मीणा का अन्तरिम समायोजन राउमावि ओला, पोकरण जिला जैसलमेर में प्रधानाचार्य के पद पर किया गया था।

श्री महावीर प्रसाद मीणा द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर राउमावि सीरसला जिला चूरू/राउमावि बुकनसर बडा जिला चूरू/राउमावि अनुपशहर जिला चूरू/राउमावि अलफसर जिला सीकर अथवा राउमावि उतरादा बास जिला हनुमानगढ में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने का निवेदन किया गया। श्री मीणा के उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका अन्तरिम समायोजन स्थान संशोधित करते हुए राउमावि ओला, पोकरण जिला जैसलमेर के स्थान पर राउमावि सिरसला जिला चूरू (दिनांक 09.03.2021 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद पर उक्त दिनांक से प्रभावी) किया जाता है। उक्त समायोजन माननीय अधिकरण के अपील में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-म. /संस्था/बी-2/अपील/सुशीला परसोया/1106/2021 दिनांक: 26.02.2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झुनूं/जैसलमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


(संयुक्त निदेशक(कार्मिक))